**किराया नियन्त्रण अधिनियम**

**(Rent Control Act)**

**देहली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के नियमों का प्रारूप 'A' किराया नियंत्रक, देहली के समक्ष**

**(Form 'A' of Rules under Delhi Rent Control Act, 1958)**

न्यायालय ............

अ० ब० स० ............ वादी

**बनाम**

स० द०फ० ............ प्रतिवादी

**(प्रमाणिक किराये के निर्धारण/प्रमाणिक किराये में वृद्धि/किरायेदार की बेदखली के लिए प्रार्थना पत्र)**

**(धारा 14 (1) (h) देहली किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत)**

**नोट** - **जो लागू न हो उसे काट दें।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | .म्यूनिस्पिल नंबर व नाम,मकान का यदि कोई हो | B-46, काल्काजी (प्रथम तल, नई दिल्ली) |
| 2 | स्ट्रीट/वार्ड/क्षेत्र जिसमें मकान स्थित है | उपरोक्तानुसार |
| 3 | .(क) मकान मालिक का नाम और पता  (ख) किरायेदार/किरायेदारों का नाम व पता | याचिका के अनुसार याची  याचिका के अनुसार याची उत्तरदाता |
| 4 | मकान रिहायसी है अथवा नहीं | रिहायसी |
| 5 | मकान रिहायसी होने की स्थिति में,उन लोगों की संख्या जो उसमें रहते हैं और गैर रिहायसी मकान की स्थिति में उसके प्रयोग करने का, उद्देश्य और कामगारों की संख्या जो उसमें काम करते हैं। | उत्तरदाता नंबर 2 अपने परिवार के साथ निवास करता है |
| 6 | मकान मालिक द्वारा यदि कोई फर्नीचर दिया गया हो तो उल्लेख करें। | नहीं |
| 7 | मकान मालिक द्वारा फिटिंग यदि कोई दी हो तो उनका विवरण दें | बिजली, पानी और सैनिट्री फिटिंग है। |
| 8 | मकान में उपलब्ध स्थान मय बाग बगीचा और आउट हाउसेज यदि कोई हो (नक्शा नत्थी किया जाए) | तीन कमरे,सोने,बैठने व खाना खाना वास्ते, एक लेट्रिन (सब प्रथम तल) नौकरों के क्वाटर (द्वितीय  तल पर) नक्शे में लाल रंग से पृथक दर्शाये जायें। |
| 9 | क्या मकान में एक किरायेदार है अथवा एक से अधिक | एक किरायेदार |
| 10 | विद्युत, पानी, सेनिटेशन आदि के प्रकार की सुविधा है या नहीं। | पानी, विद्युत और सेनीटेशन |
| 11 | मासिक किराया (भवनकर विद्युत पानी और अन्य चार्जज के साथ).किरायेदार द्वारा अदा किया जाने वाला | रु.1100 /- मासिक (बिजली और पानी के चार्जेज को निकाल कर) |
| 12 | 1. मकान के पूर्ण होने की तिथि और उसका मूल्य 2. क्या पूर्ति रिपोर्ट स्थानीय अधिकारी से प्राप्त की गई और उसकी तिथि : | * 1974 * हाँ प्राप्त की गई थी |
| 13 | कर योग्य मूल्य जो कि सम्पत्ति निर्धारण पंजिका में दर्ज है। (DMC/NDMC/DCB): | म्यूनिस्पिल रिकार्ड के अनुसार |
| 14 | किरायेदार को मकान किराये पर देने की तिथि और अनुबन्ध यदि कोई हो, का विवरण (अनुबन्ध की प्रमाणित कॉपी संलग्न करनी है) | दिनांक 15 जुलाई,1976 से-लिखित अनुबन्ध पत्र के अनुसार 1 मूल प्रति उत्तरदाता नंबर 1 के पास उपलब्ध है। |
| 15 | क्या मकान का किराया नई दिल्ली मकान : किराया नियंत्रण आदेश, 1939/देहली किराया नियंत्रण अध्यादेश, 1944/देहली अजमेर, मारवारा किराया नियंत्रण अधियिम, । 1947 अथवा देहली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, 1952 अथवा देहली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत निश्चित किया गया यदि ऐसा है तो किराये की धनराशि और तिथि जब से यह प्रभावी है। | लागू नहीं होता |
| 16 | क्या मकान में कोई उप किरायेदार है। यदि ऐसा है तो मकान को उपकिरायेदारी में देने की तिथि, चाहे मकान मालिक की सहमति से अथवा बिना सहमति के और उपकिरायेदार से लिया जाने वाला किराया | लागू नहीं होता |
| 17 | जैसा कि उक्त पैरा 15 में दिया गया है, किराया निश्चित होने के बाद कोई बढ़ोतरी अथवा बदलाव किया गया। यदि हाँ तो ऐसा करने की तिथि/इसकी मालियक/क्या यह नियंत्रक/किरायेदार की सहमति से लिया गया था। | याची द्वारा विगत कई वर्षों से मकान का निरीक्षण नहीं किया गया है और वह नहीं कह सकता कि कोई बढोतरी अथव तबदीली की गई है। |
| 18 | (क) कौन से तल पर किरायेदार की बेदखली की मांग की गई है।  (ख) क्या वांछित नोटिस दिया गया है यदि हा तो उसका विवरण दिया जाये नोटिस की प्रति और किरायेदार का उत्तर.यदि कोई हो संलग्न किया जाये) | (i) याची सम्पूर्ण मकान का मालिक है जबकि उत्तरदाता अनुबन्ध दिनांक 15-7-1976 के तहत मात्र एक किरायेदार है .  (ii) उत्तरदाता नंबर 1 द्वारा उत्तरदाता नंबर 2 के प्रयोग और निवास के लिए अनुबन्ध की तारीख  से किराये पर लिया गया था जो कि उत्तरदाता नंबर 2 उसमें तभी से निवास कर रहा है ।  उत्तरदाता नंबर 2 उत्तरदाता नंबर 1 की सहायता से अधिनियम के लागू होने के बाद खाली पड़ी रिहायशी प्रमि को कब्जे में करके निर्माण कार्य कर लिया गया है। |
| 19 | अन्य कोई वांछित सूचना | याची द्वारा पूर्व में भी श्री ............ की कोट में (अतिरिक्त किराया नियंत्रक देहली) वाद नंबर ............. सन् दायर किया गया था ! |
| 20 | माँगा गया अनुतोष | इसलिए सविनय निवेदन है कि बेदखली की डिक्री याची के हित में और उत्तरदाता के विरुद्ध सम्पूर्ण प्रथम तल के सम्बन्ध में और द्वितीय तल पर एक सर्वेन्ट क्वार्टर के सम्बन्ध में मं० न० B-46,कालका जी नई दिल्ली पारित की जाये। (विशेष रूप से लाल रंग से दर्शाया गया है) याचिका का खर्चा भी याची को दिलाया जाये। अन्य कोई अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे केस की परिस्थितियों को देखते हुए दिलाने की कृपा करें। |

**हस्ताक्षर ……....**

**प्रार्थी/अभिकर्ता .........**

**द्वारा अधिवक्ता ........**

**सत्यापन**

मैं/हम उपरोक्त नामांकित याची/याचीगण, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता यह सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त पैरा 1 से 9 तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और अन्तिम पैरा मान्य न्यायालय से प्रार्थना है।

**सत्यापित-स्थान ............ दिनांक ............ दिन ............. (ह० प्रार्थी/अभिकर्ता)**